राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर–46 /2021

राधेश्याम पुत्र भागूराम जाति माली निवासी ढाणी टोडियाला ग्राम गाडराटा तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनूं (राज.)

.... प्रार्थी

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 15–07–2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम गाडराटा स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 51 में प्रार्थी का नाम लिछमण पुत्र भागू के स्थान पर राधेश्याम पुत्र भागूराम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित है।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2074–77 खाता सं. 51 ग्राम गाडराटा पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम गाडराटा स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 51 में प्रार्थी का नाम लिछमण पुत्र भागू के स्थान पर राधेश्याम पुत्र भागूराम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम गाडराटा स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 51 में प्रार्थी का नाम लिछमण पुत्र भागू के स्थान पर राधेश्याम पुत्र भागूराम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15–07–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी